STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,

Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

संचिका संख्या : SHSB/PM/241/2009
पत्रांक : 4129

प्रेषक,

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

पटना, दिनांक : 10.05.2013

विषय : दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सेवा यात्रा के क्रम में जिलों में भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान अन्य विभागों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में दवा की उपलब्धता का भी समीक्षा किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में पाया जा रहा है कि कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में दवा उपलब्ध नहीं रह रहा है जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा मद में आवंटन निर्गत किया जा चुका है।

उक्त के आलोक में **निदेशानुसार** निदेशित है कि अपने-अपने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में आवश्यकतानुसार फर्मो को व्ययादेश भेजते हुए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहेगें तथा व्ययादेश की एक प्रति राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के फैक्स संख्या 0612-2290322 अथवा ईमेल drdkraman@yahoo.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आपूर्ति की समीक्षा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के स्तर से भी किया जा सके।

साथ ही **निदेशानुसार** यह भी निदेशित है कि प्रतिदिन जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक चिन्हित आवश्यक दवाओं (EDL) की उपलब्धता राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के बेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक शनिवार के शाम तक अपने-अपने जिले के स्वास्थ्य संस्थानों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में OPD/IPD/OT आदि के लिए आवश्यक दवाओं (EDL) की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन फैक्स संख्या 0612-2290322 अथवा ईमेल drdkraman@yahoo.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में दवा की उपलब्धता नहीं रहने पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन तथा संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के अधीक्षक जिम्मेवार होगें।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
ह०/-
(अपर निदेशक)

ज्ञापांक : 4129 पटना, दिनांक : 10.05.2013

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव स्वास्थ्य सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रिय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी जिला के जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/5/13

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार